



रोम के विख्यात पैलटाइन हिल पर एक अमीर सामंत के दावत खाने की खोज हुई है जिसमें एक मोजैक भी है जो कि समुद्र से प्राप्त सामान से बना हुआ है। सी शैल, कोरल, सीप और इजिप्ट की नीली आभा वाली टाइल्स, मार्बल और रोमन ग्लास से बने 16 फीट लम्बे और 2,300 साल पुराने मोजैक में नाविक, जहाज, काल्पनिक सामुद्रिक जीव, तुरही, व त्रिशूल दर्शाए गए हैं। ऐसा लगता है कि उक्त सामंत की किसी नौसैनिक फतह की स्मृति में इसे बनाया गया था। मोजैक में एक पहाड़ पर चार दीवारी से घिरा कस्बा दिखाया गया है जहां से समुद्र दिखाता है और समुद्र में दो जहाज हैं, एक विजेता है दूसरा पराजित। कोलोसियम आर्किओलॉजिकल पार्क की प्रमुख तथा पुरातत्व विशेषज्ञ एल्फोसीना रुसो ने कहा कि, प्राचीन काल में अमीर और ताकतवर सामंत पैलटाइन हिल पर रहते थे, उस समय शानो शौकत और रुतबा दिखाने के लिए इस तरह की साज सज्जा करवाने की प्रथा थी। उन्होंने बताया कि, सिर्फ मोजैक में ही नहीं, बल्कि दावत खाने से जो बगीचा नजर आता है उसमें सीसे (लैंड) के पाइपों के जरिए विभिन्न मूर्तियों व फव्वारों से पानी निकलता था, जिससे वॉटर गेम्स खेले जाते थे। मोजैक आमतौर पर फर्श पर मिलते हैं। लेकिन यह मोजैक एक पूरी दीवार पर बना है तथा बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। रोम की युनिवर्सिटी में मोजैक लैब के प्रोफेसर, मार्को रोसी ने कहा कि, सीधी खड़ी दीवार पर बना होने के कारण यह मोजैक मलबे के ढेर के कारण नष्ट नहीं हुआ है, जैसे जमीन पर बने मोजैक हो जाते हैं। रुसो व रॉसी का मत है कि, पैलटाइन हिल पर इसकी लोकेशन सिक्रेट थी और यह मिट्टी में दब गया था, इसीलिए नष्ट होने से बच गया।

## ई.डी. ने तृणमूल के पूर्व सांसद की 29 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क की

ई.डी. ने बीचक्राफ्ट विमान, फ्लैट और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में संपत्तियों को मनी लॉण्डरिंग रोधी कानून के तहत कुर्क किया है

नई दिल्ली, 31 मार्च। लोकसभा चुनाव से पहले ई.डी. का एक्शन जारी है। केंद्रीय एंटी-मनी लॉण्डरिंग मामले में बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के.डी. सिंह की चिटफंड कंपनी अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की है।

ईडी ने कहा कि, शनिवार को पूर्व टीएमसी सांसद केडी सिंह को अल्पक्षता वाले अल्केमिस्ट ग्रुप के 29 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के बीचक्राफ्ट विमान, फ्लैट और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में संपत्तियों को मनी लॉण्डरिंग रोधी कानून के तहत कुर्क किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह जांच सी.बी.आई., यूपी पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि, समूह ने

ई.डी. ने बताया कि, हरियाणा के पंचकुला में पार्श्वनाथ रॉयल प्रोजेक्ट में अलकेमिस्ट रियल्टी लिमिटेड द्वारा खरीदे गए कुल 18 फ्लैट और शिमला (ग्रामीण) और सिरमौर के क्यॉथल में लगभग 250 बीघा और 78 बीघा जमीन भी कुर्क की गई है।

अपनी कंपनियों जैसे अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में आम जनता से 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि झूठ बोलकर एकत्रित की। ग्रुप ने उच्च रिटर्न प्रदान करने और अपने निवेश पर उच्च ब्याज दर के अलावा फ्लैट, विला, प्लॉट देने का वादा भी किया। ईडी ने एक बयान में कहा कि, संपत्तियों को पीएमएलए के तहत कुर्क किया गया है।

ई.डी. ने एक बयान में कहा कि, इनमें एक किंग एयर सी90ए विमान, हिमाचल प्रदेश के शिमला और

सिरमौर जिलों और मध्य प्रदेश के कटनी जिले में फ्लैट और जमीन शामिल है। एजेंसी ने कहा कि, हरियाणा के पंचकुला में पार्श्वनाथ रॉयल प्रोजेक्ट में अलकेमिस्ट रियल्टी लिमिटेड द्वारा खरीदे गए कुल 18 फ्लैट और शिमला (ग्रामीण) और सिरमौर के क्यॉथल में लगभग 250 बीघा और 78 बीघा जमीन भी कुर्क की गई है।

अलकेमिस्ट ग्रुप का नेतृत्व टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य कंवर दीप सिंह कर रहे हैं। कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 29.45

करोड़ रुपये है।

ईडी ने दावा किया कि, जांच के अनुसार, सार्वजनिक निवेशकों को कभी भी उनका पैसा नहीं लौटाया गया और धन को अलकेमिस्ट समूह की विभिन्न कंपनियों में छीन लिया गया और डायवर्ट कर दिया गया।

केडी सिंह का पूरा नाम कंवर दीप सिंह है। सिंह ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ईडी इससे पहले भी केडी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी में कई जरूरी कार्रवायियां, विदेशी कर्रेंसी और कैश मिला था। 2018 में ही केडी सिंह पर के तहत केस शुरू किया गया था। अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड पर ई.डी. ने 2016 में केस दर्ज किया था। पहले केडी सिंह की करीब 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें रिजॉर्ट, शोरूम और बैंक खाते भी शामिल थे।

## ‘भ्रष्टाचार और परिवार बचाओ रैली’

नई दिल्ली, 31 मार्च (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया समूह की लोकतंत्र बचाओ रैली को भ्रष्टाचार और परिवार बचाओ रैली की करार दिया है और कहा है कि, ‘मोदी हटाओ’ के लक्ष्य पर काम करने वाले विपक्ष का जनता के हित और देश का

भाजपा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया समूह की लोकतंत्र बचाओ रैली को भ्रष्टाचार और परिवार बचाओ रैली करार दिया है।

विकास से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “देश की राजनीति में पहले ही ऐसे राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत में रहकर सरकार चला रहा है और इनका साथ देने वाली पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हैं।”

## दिल्ली में विपक्ष का सहानुभूतिक गठबंधन, ...

डाल दिया जाता था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “ये लोग यूरिया को चीनी बना देते हैं, गोबर को हलवा बना देते हैं और आंख फोड़कर चश्मा देते हैं।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में जेल से दिए अपने पति का संदेश पढ़ते हुए कहा, भारत माता पीड़ा में है और यह अत्याचार नहीं चलेगा। शीर्ष विपक्षी नेता लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए रामलीला मैदान में एकत्र हुए। सुनीता केजरीवाल ने कहा, पिछले 75 वर्ष में दिल्ली के लोगों ने अन्याय का झेला है। अगर ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आता है तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा, आपके अपने

## एसिडिडी, गैस और एंटीबायोटिक दवाओं के नमूने फेल

ड्रग विभाग की जांच में हिमाचल में निर्मित कई प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाओं के नमूने फेल हुये

नई दिल्ली, 31 मार्च। ड्रग विभाग की जांच में सामने आया है कि, पेट में कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करने के लिए बाजार में मौजूद दवाएं मर्ज पर बहुत कम असर कर रही हैं। एसिडिटी के इलाज के लिए बाजार में मौजूद ज्यादातर दवाओं में साल्ट की कमी पाई गई है। जांच में कई दवाओं के नमूने फेल पाये गये हैं।

ड्रग विभाग ने जिले में वर्ष 2023-24 में 197 दवाओं के नमूने लिए। इनमें से 144 दवाओं की रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। खास बात यह है की आठ दवाओं के नमूने मानक पर खरे नहीं मिले। इन नमूनों को अधोमानक माना गया है। इनमें से चार दवाएं एसिडिटी के इलाज में प्रयोग की जाती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह ने बताया कि गैस, कब्ज, खट्टी डकार के इलाज में प्रयोग किए जाने वाली दवाएं इस श्रेणी में आती हैं। विभाग की जांच में रैबीटाइम

ड्रग विभाग की जांच में सामने आया है कि, पेट में कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करने के लिए बाजार में मौजूद दवाएं मर्ज पर बहुत कम असर कर रही हैं। एसिडिटी के इलाज के लिए बाजार में मौजूद कई दवाओं में साल्ट की कमी पाई गई है।

ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि गैस की दवा के अलावा एंटीबायोटिक इंजेक्शन जेटामाइसिन के नमूने फेल हुए हैं। इसे सर्जरी के दौरान दिया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बिगड़ने के कारण होने वाले आटोइम्यून बीमारियों में

## प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया कच्चातिवू द्वीप का मुद्दा

नई दिल्ली, 31 मार्च। प्र.मंत्री मोदी ने कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि, कांग्रेस ने देश को बर्बाद ही किया है कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर देश की अखंडता और हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ये प्रतिक्रिया एक आर.टी.आई. रिपोर्ट के बाद आई थी। एक आर.टी.आई. रिपोर्ट में कहा गया है कि, कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1974 में कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था।

प्र.मंत्री मोदी ने कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि, कांग्रेस ने देश को बर्बाद ही किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर.टी.आई. रिपोर्ट को आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली बताते हुए कहा था कि, इस कदम से लोग नाराज हैं और कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता।

## कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस

ई.डी. ने दो दिन पहले 1823 करोड़ का नोटिस भेजा था, कांग्रेस पर कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि, कांग्रेस पर 3567 करोड़ का बकाया निकाला गया है। यह पागलपन की पराकाष्ठा है।

इनकम टैक्स बकाये के नोटिस और बैंक खाते फ्रीज किये जाने के मामले में अब तक कांग्रेस की तीन याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

हुई है। कांग्रेस मुक्त भारत के भाजपा मिशन के लिए उनके निष्ठावान राजस्व विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद। लेकिन यह याद रखें, भारतीय मतदाताओं ने कभी भी निरंकुश आचरण का समर्थन नहीं किया है। विपक्षी दलों के बिना कोई भी लोकतंत्र संभव नहीं है। टैक्स डिपॉजिट के अधिकारियों ने पिछले सातों से जुड़ी टैक्स डिमांड के

लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही वसूल कर लिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

कांग्रेस ने चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिसेसमेंट प्रोसिडिंग शुरू करने के

खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए टोस सबूत थे, इसलिए एक्शन ले लिया गया है।

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिसेसमेंट प्रोसिडिंग शुरू करने के

खिलाफ दायर की थी। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 तक असेसमेंट प्रोसिडिंग को चुनौती दी थी। उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।